



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार, 16 जनवरी, 1971

पौष 26, 1892 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका विभाग

संख्या 6171(1)/17-326-70

लखनऊ, 16 जनवरी, 1971

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1970 पर दिनांक 13 जनवरी, 1971 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1971 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1971)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन), अधिनियम, 1953 में संशोधन करने के लिये

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1953

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

(2) यह 30 जून, 1970 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 2 में, खण्ड (क) में, शब्द तथा अंक "किसी भी वर्ष में उस अवधि से है जो 1 अक्टूबर से प्रारम्भ हो और उसके ठीक पश्चात् पड़ने वाली 30 जून को समाप्त हो" के स्थान पर शब्द तथा अंक "किसी भी वर्ष में उस अवधि से है जो 1 अक्टूबर से प्रारम्भ हो और उसके ठीक पश्चात् पड़ने वाली 15 जुलाई को समाप्त हो" रख दिये जायें।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1953 की धारा 2 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1970 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12, 1970 का निरसन

No. 6171(1)/XVII—326-1970

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna (Poorti Tatha Kharid Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1970 (Uttar Pradesh Adhiniyam, Sankhya 6 of 1971) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on January 13, 1971.

UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE) (AMENDMENT) ACT, 1970

(UTTAR PRADESH ACT No. 6 OF 1971)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

U.P. Act XXIV
of 1953.

to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953

IT is hereby enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 1970.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 30th June, 1970.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. XXIV of 1953.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953, in clause (i), for the words, figures and letters "beginning on the 1st October in any year and ending on the 30th June next following" the words, figures and letters "beginning on the 1st October in any year and ending on the 15th July next following" shall be substituted.

Repeal of U.P. Ordinance no. 12 of 1970.

3. The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Ordinance, 1970, is hereby repealed.

आज्ञा से,
प्रेम प्रकाश,
सचिव।